प्रेषक,

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
बागेश्वर।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
देहरादून।

पत्रांक/प्रा.शि./सेवा-2/ 1463-64 /नियुक्ति पत्र/2022-23 दिनांक 27.06.2022

विषय : मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 19.04.2022 के अनुपालन में जनपद बागेश्वर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र विभागीय वेबसाईट में अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 एवं यथा संशोधित सेवा नियमावली 2018 एवं 2019 में निहित प्राविधानों के अधीन जनपद बागेश्वर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित विज्ञप्ति के कम विभिन्न तिथियों में आहूत काउन्सिलिंग में उपस्थित अभ्यर्थी जिनके लिफाफे बन्द रखे गये थे, मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 19.04.2022 के अनुपालन में सम्बन्धित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र विभागीय वेबसाईट www.schooleducation.uk.gov.in पर अपलोड किये जाने हैं।

अतः मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 19.04.2022 के अनुपालन में अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र विभागीय वेबसाईट www.schooleducation.uk.gov.in में अपलोड करने की कृपा कीजिएगा।

संलग्नक – नियुक्ति आदेश – 01-01 प्रति।

भवदीय,

27-06-22

(आर.एस.सविता)
जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
बागेश्वर(उत्तराखण्ड)।

पृ.सं./प्रा.शि./सेवा-2/ /नियुक्ति पत्र/2022-23 दिनांक उकत्वत्

प्रतिलिपि –

01 मुख्य शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
बागेश्वर(उत्तराखण्ड)।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, बागेश्वर।

आदेश संख्या/प्रा.शि./सेवाएँ अराज./ 82 /विज्ञप्ति–बैकलांग भर्ती/2022–23 दिनांक27.06.2022

विज्ञप्ति–नियुक्ति आदेश

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 यथासंशोधित सेवा नियमावली –2018 में निहित प्रावधानों के अधीन निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा.शि.–दो(2)/19061–75/148(18)/2018–19 दिनांक 14.12.2018 एवं कार्यालय पत्रांक / प्रा.शि.–दो(2)/419(II)–2020/6118–21/2021–22 दिनांक 14.09.2021, **निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून के कार्यालय पत्रांक : प्रा.शि.–दो(2)/536–2021/365–71/2022–23 दिनांक 05.04. 2022 तथा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून के कार्यालय पत्रांक : वि.प्र.–10(05)/2787/2022–23 दिनांक 19.05.2022** द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनोपरान्त एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक (बी.एड़) डिप्लोमा एवं सी.टी.ई.टी./यू.टी.ई.टी–I उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 06 में अंकित राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक वेतनक्रम रू. 35400–112400 लेवल–06 के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है। **यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या –903/2019 एवं रिट याचिका संख्या–350/एस.एस./2021 नन्दन सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–574/एस.एस./2019 नीतू पाठक बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी,** साथ ही एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक (बी.एड़) डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी जो प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए हों तथा कक्षा –01 से 05 तक पढ़ाने के लिये उनको प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति होने के 02 वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 06 महीने का ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से पूरा करना होगा, निर्धारित अवधि में निर्धारित अर्हतायें पूर्ण न किये जाने की दशा में सेवायें स्वतः समाप्त हो जायेंगी। नव नियुक्त अभ्यर्थियों के शैक्षिक अभिलेखों, जाति व स्थायी निवास प्रमाण पत्रों का सत्यापन तथा वैधता सम्बन्धित विकास खण्ड के उप शिक्षा अधिकारी द्वारा अभिलेखों के निर्गमन करने वाली संस्थाओं से परिवीक्षाकाल में ही कराया जायेगा। सत्यापन में भिन्नता पाये जाने अथवा प्रमाण पत्रों के फर्जी पाये जाने की दशा में अभ्यर्थी की नियुक्ति तत्काल निरस्त कर दी जायेगी तथा सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए विधिक कार्यवाही की जायेगी। नव नियुक्त अध्यापक/अध्यापिका को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का मार्ग व्यय देय नही होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय 01 माह पूर्व नोटिस अथवा 01 माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।

क्रमशः –2– पर

नियुक्त अध्यापक/अध्यापिका को उनके आवंटित विद्यालय में ग्रीष्मावकाश के वाद विद्यालय खुलने के उपरान्त विलम्बतम् 12 जुलाई, 2022 तक अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा। यह नियुवित्त शासनादेश संख्या/21/XXVII (7)/अ.पैं.यो./2005 दिनांक 25.10.2005 से आच्छादित होगी, अर्थात राजकीय सेवाओं में नई परिभाषित पैंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

बैकलॉग भर्ती

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	अभ्यर्थी का पता	जाति	विषय	नियुक्त विद्यालय का नाम
01	02	03	04	05	06	07
01	श्री हेम चन्द्र सोराड़ी 05.07.1984	श्री शिव दत्त सोराड़ी	ग्राम –गूम (छत्रीदयार) पो. पाटी जनपद– चम्पावत	GEN	SCIENCE	रा.प्रा.वि., खलपट्टा, कपकोट
02	श्री विजय सिंह 15.06.1978	श्री मंगल सिह	तल्ला नग्वाड़ वार्ड नं. –08 पो.औ.–गोपेश्वर जनपद– चमोली	ST	ART OTHER	रा.प्रा.वि., हरसिंग्याबगड़, कपकोट।
03	श्री प्रदीप कुमार 05.06.1984	श्री शंकर सेन	गॉधीनगर(बानूसा) पो. नौगॉवटग्गू, खटीमा जनपद–ऊधमसिंहनगर	SC	ENGLISH	रा.प्रा.वि., समडर, कपकोट।

27.06.22

(राजवीर सिंह सविता)
जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
बागेश्वर(उत्तराखण्ड)।

पृ.सं./ प्रा.शि./सेवाऍ अराज./1477-88 /नियुक्ति–बैकलांग भर्ती/2022–23 दिनांक उक्तवत्।
प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
02 अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
03 जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर।
04 वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर।
05 मुख्य शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर।
06 प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बागेश्वर।
07 वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा, बागेश्वर।
08 उप कोषाधिकारी, कोषागार, कपकोट।

क्रमशः –3– पर

09 उप शिक्षा अधिकारी, कपकोट को इस आशय से प्रेषित कि नव नियुक्त शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके स्वस्थता प्रमाण पत्र एवं 02 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करें तथा उनके समस्त शैक्षिक मूल प्रमाण पत्रों की जॉच कर लें, एवं समस्त प्रमाण पत्रों की सत्यापित छाया प्रति प्राप्त कर 01 प्रति कार्यालय में सुरक्षित रखें, साथ ही नव नियुक्त अध्यापक अध्यापिका के समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण, जाति व अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन तथा उनकी वैधता 02 वर्ष के परिवीक्षा काल के अन्तर्गत प्रमाण पत्र निर्गत करने वाली संस्थाओं/कार्यालय से अनिवार्य रूप से करवाने के उपरान्त सत्यापित प्रमाण पत्रों का विवरण अघोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध करायें।

10 सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को इस आशय से कि वे अपने समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों की छाया प्रति, स्वस्थता प्रमाण पत्र एवं 02 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र के 02–02 सैट सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कर उप शिक्षा अधिकारी की अनुमति के उपरान्त ही सम्बन्धित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे तथा उक्त अभिलेखों का 01 सैट विद्यालय में भी अनिवार्य रूप से जमा करेंगे।

11 कार्यालय सुरक्षित पत्रावली।

27.06.22

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
बागेश्वर(उत्तराखण्ड)।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, बागेश्वर।

आदेश संख्या/प्रा.शि./सेवाएँ अराज./ 81 /नियुक्ति–सीधी भर्ती/2022–23 दिनांक 27.06.2022

विज्ञप्ति–नियुक्ति आदेश

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 यथासंशोधित सेवा नियमावली –2019 में निहित प्रावधानों के अधीन निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा.शि.–दो(2)/19061–75 /148(18)/2018–19 दिनांक 14.12.2018 एवं कार्यालय पत्रांक / प्रा.शि.–दो(2)/419(II)–2020/6118–21/2021–22 दिनांक 14.09.2021, **निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून के कार्यालय पत्रांक : प्रा.शि.–दो(2)/536–2021/365–71/2022–23 दिनांक 05.04.2022 तथा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून के कार्यालय पत्रांक : वि.प्र.–10(05)/2787/2022–23 दिनांक 19.05.2022** द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में, जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनोपरान्त एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक (बी.एड़) डिप्लोमा एवं सी.टी.ई.टी./यू..टी.ई.टी–I उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 06 में अंकित राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक वेतनक्रम रू. 35400–112400 लेवल–06 के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है। **यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या –903/2019 एवं रिट याचिका संख्या–350/एस.एस./2021 नन्दन सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–574/एस.एस./2019 नीतू पाठक बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी,** साथ ही एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक (बी.एड़) डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी जो प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए हों तथा कक्षा –01 से 05 तक पढ़ाने के लिये उनको प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति होने के 02 वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 06 महीने का ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से पूरा करना होगा, निर्धारित अवधि में निर्धाथ्रत अर्हतायें पूर्ण न किये जाने की दशा में सेवायें स्वतः समाप्त हो जायेंगी। नव नियुक्त अभ्यर्थियों के शैक्षिक अभिलेखों, जाति व स्थायी निवास प्रमाण पत्रों का सत्यापन तथा वैधता सम्बन्धित विकास खण्ड के उप शिक्षा अधिकारी द्वारा अभिलेखों के निर्गमन करने वाली संस्थाओं स परिवीक्षाकाल में ही कराया जायेगा। सत्यापन में भिन्नता पाये जाने अथवा प्रमाण पत्रों के फर्जी पाये जाने की दशा में अभ्यर्थी की नियुक्ति तत्काल निरस्त कर दी जायेगी तथा सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए विधिक कार्यवाही की जायेगी। नव नियुक्त अध्यापक/अध्यापिका को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का मार्ग व्यय देय नही होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय 01 माह पूर्व नोटिस अथवा 01 माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।

क्रमशः–2–पर

नियुक्त अध्यापक/अध्यापिका को उनके आवंटित विद्यालय में ग्रीष्मावकाश के वाद विद्यालय खुलने के उपरान्त विलम्बतम् 12 जुलाई, 2022 तक अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा। यह नियुक्ति शासनादेश संख्या/21/XXVII (7)/अ.पैं.यो./2005 दिनांक 25.10.2005 से आच्छादित होगी, अर्थात राजकीय सेवाओं में नई परिभाषित पैंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

<u>सामान्य भर्ती</u>

क. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	अभ्यर्थी का पता	जाति	विषय	नियुक्त विद्यालय का नाम
01	02	03	04	05	06	07
01	श्री बुद्वि बल्लभ 10.06.1979	श्री पीताम्बर	ग्राम विरलगॉव तल्ला पो. कफल्टा मल्ला सल्ट जनपद– अल्मोड़ा	SC/FF	ART OTHER	रा.प्रा.वि., उमुला, कपकोट।
02	श्री अरूण मन्दोला 11.11.2022	श्री राधा बल्लभ मन्दोला	ग्राम मानपुर शिवशक्ति गली नं.–04 पो.औ. कोटेश्वर जनपद– पौड़ीगढवाल	GEN	SCIENCE	रा.प्रा.वि. पय्या, गरूड़।
03	श्रीमती राधा रानी 05.05.1974	श्री लालू राम	ग्राम मालधनचौड सै. –2 पो.औ. चन्द्रनगर जनपद– नैनीताल	SC/PH	ART OTHER	रा.प्रा.वि., रीमाक्वीटी, कपकोट।
04	श्रीमती नीमा पांगती 01.02.1975	श्री दुर्गा सिंह जंगपांगी	ग्राम सरमोली पो.औ. मुनस्यारी जनपद– पिथौरागढ़	ST	HINDI	रा.प्रा.वि., जारती, कपकोट।
05	श्री राकेश चन्द्र 10.07.1980	श्री नारायण राम	ग्राम व पो. देवायल (सल्ट) जनपद– नैनीताल।	sc	MATH	रा.प्रा.वि., बदियाकोट, कपकोट।
06	श्री पवन कुमार 19.10.1983	श्री रघुनाथ सिंह	ग्राम तड़ाग पो. फलासी जनपद– रूद्रप्रयाग	GEN/ EWS	ENGLISH	रा.प्रा.वि., नौकुड़ी, कपकोट।
07	श्री खजान सिंह 10.06.1975	श्री रतन सिंह	ग्राम डकियासा पो. कोथी वाया सहिया जनपद– देहरादून	ST	MATH	रा.प्रा.वि., भटंग, कपकोट।

27.06.22

(राजवीर सिह सविता)
जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
बागेश्वर(उत्तराखण्ड)।

क्रमशः–3 पर

पृ.सं./ प्रा.शि./सेवाएँ अराज./1465-76 /नियुक्ति–सीधी भर्ती/2022–23 दिनांक उक्तवत्
प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
02 अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
03 जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर।
04 वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर।
05 मुख्य शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर।
06 प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बागेश्वर।
07 वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा, बागेश्वर।
08 उप कोषाधिकारी, कोषागार, गरूड़, कपकोट।
09 उप शिक्षा अधिकारी, कपकोट, एवं गरूड़ को इस आशय से प्रेषित कि नव नियुक्त शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके स्वस्थता प्रमाण पत्र एवं 02 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करें तथा उनके समस्त शैक्षिक मूल प्रमाण पत्रों की जॉच कर लें, एवं समस्त प्रमाण पत्रों की सत्यापित छाया प्रति प्राप्त कर 01 प्रति कार्यालय में सुरक्षित रखें, साथ ही नव नियुक्त अध्यापक अध्यापिका के समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण, जाति व अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन तथा उनकी वैधता 02 वर्ष के परिवीक्षा काल के अन्तर्गत प्रमाण पत्र निर्गत करने वाली संस्थाओं/कार्यालय से अनिवार्य रूप से करवाने के उपरान्त सत्यापित प्रमाण पत्रों का विवरण अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध करायें।
10 सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को इस आशय से कि वे अपने समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों की छाया प्रति, स्वस्थता प्रमाण पत्र एवं 02 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र के 02–02 सैट सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कर उप शिक्षा अधिकारी की अनुमति के उपरान्त ही सम्बन्धित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे तथा उक्त अभिलेखों का 01 सैट विद्यालय में भी अनिवार्य रूप से जमा करेंगे।
11 कार्यालय सुरक्षित पत्रावली।

27.06.22

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
बागेश्वर(उत्तराखण्ड)।